1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों (सा०क्षे०उ०) में राज्य सरकार की कम्पिनयाँ तथा सांविधिक निगम सिम्मिलत हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सा०क्षे०उ० की स्थापना व्यवसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए की जाती हैं। सितम्बर 2011 तक अंतिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार, बिहार में राज्य के कार्यशील सा०क्षे०उ० ने 2010—11 में ₹ 4031.46 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त वर्ष 2010—11 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) का 1.89 प्रतिशत था। बिहार राज्य की सा०क्षे०उ० की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत, वित्त एवं अन्य क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। उनके अद्यतन लेखों के अनुसार राज्य के कार्यशील सा०क्षे०उ० ने 2010—11 के लिये कुल ₹ 1317.93 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2011 को उन्होनें 0.19 लाख¹ कर्मचारियों को नियोजित किया हुआ था। राज्य सा०क्षे०उ० में सात प्रमुख विभागीय उपक्रम (डी०यू०) सिम्मिलत नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, परन्तु सरकारी विभागों के अंग हैं। इन विभागीय उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में सिम्मिलत की जाती है।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2011 को 65 सा०क्षे०उ० थे एवं इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचिबद्ध नहीं थी।

सा०क्षे०उ० का प्रकार	कार्यशील सा०क्षे०उ०	अकार्यशील सा0क्षे0उ0²	योग
सरकारी कम्पनियाँ	21	40	61
सांविधिक निगम	4	-	4
योग	25	40	65

1.3 वर्ष 2010—11 की अवधि में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई एवं एक कम्पनी अर्थात, बिहार एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (619—बी कम्पनी), गैरसरकारी कम्पनी में परिवर्तित हो गयी।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी प्रदत्त अंश्र्पूँजी का कम—से—कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सिम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619—बी के अनुसार ऐसी कम्पनी, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों, द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है (मानित सरकारी कम्पनी)।

¹ 22 सा0क्षे0उ० के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।

² अकार्यशील सा0क्षे0उ० वो है जिन्होने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।

³ 619—बी कम्पनियाँ सहित।

- 1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सी०ए०जी० द्वारा की जाती है।
- 1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। चार सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि०रा०प०प०नि०) का सी०ए०जी० एकल लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य मंडार निगम (बि०रा०भ०नि०)एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बि०रा०वि०नि०) की लेखापरीक्षा सन्दी अंकेक्षकों एवं सी०ए०जी० द्वारा की जाती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

1.7 31 मार्च 2011 को, राज्य सा0क्षे0उ0 (मानित सरकारी कम्पनियाँ सहित) में ₹ 10865.23 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण निम्न हैं। (राशः ₹ करोड़ में)


सा०क्षे०उ०	सरकारी कम्पनियाँ			₹	कुलयोग		
के प्रकार	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	255.40	551.42	806.82	185.53	9140.93	9326.46	10133.28
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	183.97	547.98	731.95	-	-	-	731.95
योग	439.37	1099.40	1538.77	185.53	9140.93	9326.46	10865.23

राज्य सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट**—1 में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2011 तक राजकीय सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 93.26 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 6.74 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 5.75 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 94.25 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2005—06 के ₹ 8349.19 करोड़ से 30.14 प्रतिशत बढ़कर 2010—11 में ₹ 10865.23 करोड़ हो गया. जैसा कि नीचे आलेख में प्रदर्शित हैं।



1.9 31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2011 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में दी गयी हैं। विगत छः वर्षों में सा०क्षे०उ० में निवेश का मुख्य जोर ऊर्जा क्षेत्र में था, जो राज्य सरकार / केंद्र सरकार / अन्य, द्वारा दिये गये ऋण के कारण 2005—06 के ₹ 6746.87 करोड़ से 33.23 प्रतिशत बढकर 2010—11 में ₹ 8989.17 करोड़ हो गया। यद्यपि 2005—06 की तुलना में 2010—11 में अन्य क्षेत्रों में निवेश में 47.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र में निवेश में भी आंशिक वृद्धि हुई।



बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/अर्थसाहाय्य, प्रत्याभूति एवं ऋण

1.10 राज्य सा0क्षे0उ० के सम्बन्ध में पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थसाहाय्य, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, अपलिखित ऋणों, ऋणों का पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण परिशिष्ट—3 में दिया गया है। 2010—11 को समाप्त हुए तीन वर्षों का सारांशीकृत विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशिः ₹ करोड में)

							(47(10, 1)
क्रम	विवरण	2008	2008-09 2009-10		08-09 2009-10 2010-11		0-11
संख्या		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा०क्षे०उ० की संख्या	राशि	सा०क्षे०उ० की संख्या	राशि
1.	वजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	3	1.56	3	26.00	3	41.29
2.	बजट से दिये गये ऋण	4	469,63	3	770.36	3	879.69
3.	प्राप्त अनुदान / अर्थसाहाय्य	3	735.74	3	873.79	3	1103.50
4.	कुल बहिर्गमन⁴	9	1206.93	8	1670.15	7	2024.48
5.	अपलिखित व्याज / दांडिक ब्याज	1	11.56	1	0.12	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	2	104.47	-	-	1	194.58
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	1	157.51	1	44.15	1	31.85

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 4 (वाणिज्यिक)

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का

वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसाहाय्य, के रुप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

1.11 पूँजी, ऋण एवं अनुदान / अर्थसाहाय्य के लिए विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है :-



राज्य सरकार द्वारा, अंश पूँजी, ऋणों एवं अनुदानों / अर्थसाहाय्य के रूप में 2005—06 से 2010—11 के वर्षों में बजटीय समर्थन के विविधतापूर्ण रूख को दर्शाता है। बजटीय समर्थन 2008—09 के ₹ 1206.93 करोड़ से बढ़कर 2010—11 में ₹ 2024.48 करोड़ हो गया। वर्ष 2010—11 में तीन कार्यशील सा०क्षे0उ0 ने कुल ₹ 1103.50 करोड़ (कुल बजटीय समर्थन का 54.51 प्रतिशत) का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया, जिसमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने राज्य सरकार से ₹ 1080.00 करोड़ का अर्थसाहाय्य प्राप्त किया। वर्ष के अंत में, चार साठ्ये0उ0 के विरूद्ध ऋणों की प्रत्याभूतियों के संबंध में कुल ₹ 253.05 करोड़ बकाया थे। दो कार्यशील सा०क्षे0उ0 द्वारा 1982—83 से प्रत्याभूति कमीशन के रूप में ₹ 37.58 लाख देय थे।

वित्तीय लेखों के साथ समाधान

1.12 राज्य सा0क्षे0उ० के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के ऑकड़े राज्य के वित्त लेखों में दिये गये ऑकड़ों से मिलने चाहिए। यदि ऑकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा0क्षे0उ० एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2011 की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है :-

(राशिः ₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त [®] लेखों के अनुसार राशि	सा0क्षे0उ0 के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	465.41	518.53	53.12
ऋण	14015.46	9406.93	4608.53
प्रत्याभूतियाँ	754.92	253.05	501.87

⁵ बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड।

⁶ बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

⁷ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

यह सूचना उन 39 सा0क्षे0उ0 के संबंध मे है जिनका उल्लेख वित्त लेखों मे किया गया है।

1.13 हमने पाया कि यह अन्तर, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को छोड़, 45 सा०क्षे०उ० में था। प्रधान महालेखाकार द्वारा जाँचोपरांत समाशोधन के विषय को राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव के पास ले जाया गया (अक्टूबर 2011)। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा०क्षे०उ० को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

सा0क्षे0उ० का कार्य-निष्पादन


1.14 सा०क्षे0 उठ के वित्तीय परिणाम, कार्यशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट 2, 5 एवं 6 में वर्णित हैं। सा०क्षे0 उठ के आवर्त तथा राज्य के जी०डी०पी० का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा०क्षे0 उठ के कार्यकलापों की अल्प भूमिका दर्शाता है। नीचे दी गयी सारणी में 2005—06 से 2010—11 की अविध में कार्यशील सा०क्षे0 उठ का आवर्त तथा राज्य के जी०डी०पी० का विवरण दिया गया है:-

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
आवर्त 9	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83	4031.46
राज्य का जी०डी०पी०	83549	103317	118687	150709	175245	213073
राज्य के जी०डी०पी० का आवर्त प्रतिशत	1.44	1.29	1.34	1.32	1.43	1.89

राज्य सकल घरेलू उत्पाद के विरुद्ध सा०क्षे०उ० का प्रतिशत आर्वत 2006–07 से 2009–10 कि अवधि में 1.29 प्रतिशत एवं 1.43 प्रतिशत के बीच स्थिर रहा, जो 2010–11 में बढकर 1.89 प्रतिशत हो गया। इसका मुख्य कारण 2010–11 की अवधि में सात¹¹ सा०क्षे०उ० के आवर्त में हुई वृद्धि थी।

1.15 2005—06 से 2010—11 की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 के द्वारा वहन की गयी हानि नीचे बार चार्ट में दी गयी है :-



आवर्त 30 सितम्बर 2011 को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 4 (वाणिज्यिक)

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का

[ा]ज्य जी०डी०पी० के आँकडे वर्तमान मूल्यों पर, २००९–१० (औपबंधिक), २०१०–११ (त्वरित अनुमान)।

¹¹ अद्यंतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, सात कम्पनियाँ, अर्थात् बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य भंडार निगम।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार 25 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 10 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 89.80 करोड़ का लाम कमाया और 11 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1383.23 करोड़ की हानि वहन की। दो कम्पनियों के लाभ / हानि स्वल्प, ₹ एक लाख से भी कम, हैं। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 45.08 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 23.99 करोड़) मुख्य थे। उपरोक्त में भारी हानि वहन करने वाले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 1294.98 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 55.74 करोड़) थे। दो कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखा को अंतिम रूप नहीं दिया।

1.16 सा0क्षे0उ0 की हानि का कारण मुख्यतः उनके, वित्तीय प्रबन्धन, योजना, कार्यान्वयन, परिचालन एवं अनुश्रवण में कमी थे। सी0ए०जी० के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1539.24 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 28.94 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:-

(राशिः ₹ करोड में)

				(
विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	योग
शुद्ध हानि	628.62	1174.59	1293.43	3096.64
सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा	104.60	33.21	1539.24	1677.05
प्रतिवेदनों के अनुसार				
नियन्त्रणीय हानियाँ				
निष्फलित निवेश	0.35	3.45	28.94	32.74

- 1.17 चूँिक सी०ए०जी० के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी हानियाँ सा0क्षे0उ० के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं, वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे कहीं अधिक हो सकती हैं। उपरोक्त स्थिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलापों में कारगर प्रबंधन तथा नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता इंगित करती हैं।
- 1.18 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड निम्नांकित हैं:-

(राशिः ₹ करोड में)

					(1111)	र परराञ् ग
विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नियोजित पूँजी पर	16.94	17.68	शून्य	7.44	शून्य	शून्य ¹³
प्रतिलाभ (प्रतिशत)						2
ऋण	7724.63	8012.25	8152.92	8614.53	9037.60	10240.33
आवर्त14	1202.49	1337.29	1587.96	1996.59	2508.83	4031.46
ऋण / आवर्त	6.42:1	5.99:1	5.13:1	4.33:1	3.60:1	2.54:1
अनुपात ¹⁵						
ब्याज का भुगतान	301.93	613.25	924.16	918.70	991.72	1243.70
संचित हानियाँ	1584.62	1686.94	2956.74	3593.15	4617.88	7212.86

(आवर्त को छोडकर, जो कार्यशील सा०क्षे०उ० का है, उपरोक्त आँकड़े समस्त सा०क्षे०उ० के हैं।)

1.19 30 सितम्बर 2011 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, सभी सा०क्षे०उ० में निवेशित पूँजी पर कुल प्रतिलाभ, 2006—07 के 17.68 प्रतिशत से घटकर 2010—11 में

¹² बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

¹³ शून्य नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ इंगित करता है।

¹⁴ कार्यरत सा0क्षे0उ० का आवर्त, उनके द्वारा ३० सितम्बर २०११ को अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनसार।

¹⁵ ऋण/आवर्त अनुपात, आवर्त के ऋण से विभाजन को दर्शाता है।

(–) 1.32 प्रतिशत हो गया। हालांकी आवर्त में वृद्धि के कारण ऋण/आवर्त अनुपात में सुधार होकर 2006–07 के 5.99:1 से 2010–11 में 2.54:1 हो गया।

1.20 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी, जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम लाभांश देना है। 11 सार्वजनिक उपक्रमों ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 89.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया परन्तु किसी भी सा०क्षे०उ० ने अब तक लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619—बी के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिक। के समक्ष प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारणी कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सितम्बर 2011 तक लेखों के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

क्रम संख्या	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	कार्यशील सा०क्षे०उ० की संख्या	23	22	23	25	25
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखों की संख्या	20	13	15	17	34
3.	लम्बित लेखों की संख्या	201	197	205	213	186 ¹⁶
4.	प्रत्येक सा0क्षे0उ० का औसत बकाया (3/1)	8.74	8.95	8.91	8.52	7.44
5.	लम्बित लेखों वाले सा0क्षे0उ0 की संख्या	23	22	23	25	23
6.	लम्बित लेखों की सीमा (वर्ष)	1 से 19	1 से 19	1 से 20	1 से 21	1 से 21

1.22 चार सांविधिक निगमों सिहत 25 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को छोड़, किसी भी कम्पनी/निगम ने 30 सितम्बर 2011 तक वर्ष 2010—11 के लिए अपने लेखों का अंतिमीकरण नहीं किया था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 2010—11 के लेखों कि लेखापरीक्षा प्रगति में थी। 23 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के लेखे एक से 21 वर्षों की अविध के लिए बकाया थे। सा0क्षे0उ0 के बकाये का औसत 2006—07 के 8.74 से सीमान्त रूप से घटकर 2010—11 में 7.44 हो गया था। लेखों के बकाये का कारण लेखों की तैयारी/प्रमाणीकरण एवं वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब तथा मानव संसाधन की कमी थी।

1.23 इसके अतिरिक्त अकार्यशील सा0क्षे0उ० के लेखों का अंतिमीकरण भी लम्बित था। 31 मार्च 2011 तक 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ० में से सात समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ० के 16 से 34 वर्ष तक के लेखे बकार्ये थे।

1.24 जैसा कि परिशिष्ट—4 में दिया गया है, राज्य सरकार ने 29 सा0क्षे0उ0 में ₹ 3856.58 करोड़ (अंश पूँजीः ₹ 119.89 करोड़, ऋणः ₹ 2296.48 करोड़, अनुदानः ₹ 1171.76 करोड़ तथा अन्यः ₹ 268.45 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुये थे। अन्तिमीकृत लेखों तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित

-

¹⁶ बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के लेखों के बकाये को विचार में नहीं लिया गया है। अग्रतर बिहार एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बकाये को, गैरसरकारी कम्पनी में परिवर्तीत हो जाने के कारण बकाये में सम्मिलित नहीं किया गया है।

तरीके से किया गया था, तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार सा0क्षे0उ० में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका की जाँच से वंचित रहा। साथ ही लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब का परिणाम कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम भी हो सकता है।

1.25 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय—सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। प्रधान महालेखाकार द्वारा बकाया लेखों की स्थिति के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभागों को प्रत्येक तिमाही में सूचना दी जाती है। इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन सा०क्षे0उ० के नेट वर्थ का मूल्यांकन लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका।

1.26 उपरोक्त वर्णित बकायों की स्थिति के सम्बन्ध में यह अनुशंसा की जाती है कि लेखों के बकाये के शीघ्र समापन एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समय पर लेखों के अन्तिमीकरण हेतु अनुश्रवण करना चाहिये।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.27 31 मार्च 2011 को 40 अकार्यशील सा०क्षे०उ० (कम्पनियाँ) थीं । इनमें से 31 मार्च 2011 को सात सा०क्षे०उ० में समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थे।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने वाली हैं। 2010—11 की अवधि में एक¹⁷ अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ने वेतन, मजदूरी, स्थापना व्यय, इत्यादि पर ₹ 0.14 करोड़ व्यय किये।

1.28 अकार्यशील सा०क्षे०उ० की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं :-

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	_	40
2.	उपरोक्त (1) में सेः			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	3 ¹⁸	-	3
(ন)	बन्दं, अर्थात बन्द करने के आदेश / निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	4 ¹⁹	-	4

1.29 वर्ष 2010—11 के दौरान किसी कम्पनी / निगम का पूर्ण समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 11 वर्षों से अधिक समय से समापन प्रक्रिया मे हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाना / अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के आलोक में यह अनुशंसा की जाती है कि, सरकार को शेष 33 अकार्यशील सा0क्षे0उ0, जिनके अकार्यशील होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उनके समापन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 4 (वाणिज्यिक)

¹⁷ बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड।

कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड।

⁹ बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड।

लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.30 वर्ष 2010—11 में 11 कार्यशील कम्पनियों ने अपने 30 अंकेक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से सात कम्पनियों के 12 लेखे अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुने गये। सी०ए०जी० के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी०ए०जी० की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखों के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी०ए०जी० की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड में)

क्रम	विवरण	2008-09		2009-10		201	10-11
संख्या ——		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	2	1.71	4	5.59
2.	हानि में वृद्धि	2	4.31	10	16.63	9	17.17
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	10.02	1	0.15	शून्य	शून्य
4.	वर्गीकरण में गलतियाँ	2	7.87	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1.31 वर्ष 2010—11 के दौरान प्राप्त सभी 30 लेखों पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 16²⁰ लेखों में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 26 उदाहरण पाये गये।

1.32 कम्पनियों के लेखो के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:-

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (2003-04)

 निवेश के मूल्य में ह्रास का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 1.13 करोड से निवेश का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (2006-07)

 स्टेजिंग एवं शटरिंग में हुए ह्रास को अंतःप्रभारित / प्रभारित नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ एक करोड़ से ह्रास का अंतःप्रदर्शन एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

2

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (2009—10), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 (2004—05),(2006—07) एवं (2007—08), बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2003—04 से 2009—10), बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (1998—99), बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (2003—04), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (1989—90), बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (1996—97), बिहार राज्य वितीय निगम (2009—10)।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2009-10)

 लम्बी अविध की देनदारियाँ, जिनकी वसूली संदिग्ध है, के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 1.08 करोड़ से विविध देनदारों एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

1.33 इसी प्रकार, 2010—11 के दौरान तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने अपने चार लेखे प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये। बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य मंडार निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का लेखा अनुपूरक लेखा परीक्षा हेतु चुना गया। इनमें से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का वर्ष 2010—11 का लेखा, लेखापरीक्षाधीन था (30 सितम्बर 2011)। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी०ए०जी० के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखों के संधारण की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी०ए०जी० की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम	विवरण	2008-0	-09 2009-10		201	0-11	
संख्या		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	14.61	1	1.74	2	17.34
2.	हानि में वृद्धि	3	562.74	2	3475.34	2	9267.22
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	12.08	1	7.08	शून्य	शून्य
4.	वर्गीकरण की त्रुटियॉ	3	67.67	1	2.47	1	7.85

1.34 सांविधिक निगमों के लेखों, जो वर्ष 2010—11 के दौरान अंतिमीकृत किये गये, पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नवत् हैं :-

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2009-10)

- लम्बी अवधि से लेखों में ली जा रही, चोरी हुई सम्पितयों के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 3.25 करोड़ से हानि का अंतःप्रदर्शन।
- ऊर्जा की आपूर्ति के विरुद्ध प्राप्तियों में वैसे उपभोक्ताओं, जिन्हें उचित बिल निर्गत नहीं किया गया, से प्राप्य ₹ 7.17 करोड़ सिम्मिलित है, जिसके कारण ₹ 7.17 करोड़ से चालू सम्पतियों का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।
- लम्बी अवधि से लेखों में ली जा रही अन्तर—ईकाई लेन—देन का प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 239,26 करोड़ से हानि का अंतःप्रदर्शन।
- लम्बी अवधि से बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के लेखों में ली जा रही रेलवे साख संशय खाता को अपलिखित नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 3.67 करोड़ से हानि का अंतःप्रदर्शन।
- राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य में 2001—06 की अवधि के लिए वार्षिक अर्थसाहाय्य की राशि ₹ 4315.65 करोड़ सम्मिलित है, जिसका बोर्ड ने न तो दावा किया और न जिसकी राज्य सरकार द्वारा सहमति ही प्राप्त

की गयी, जिसके फलस्वरूप, ₹ 4315.65 करोड़ से राज्य सरकार से प्राप्य अर्थसाहाय्य का अधिप्रदर्शन एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।

 ऊर्जा क्रय करने पर असूचिबद्ध विनिमय (यू०आई०) शुल्क के रूप मे देय ब्याज के प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 10.67 करोड़ से चालू दायित्वों एवं हानि का अंतःप्रदर्शन।

बिहार राज्य भंडार निगम (2008-09)

 संदिग्ध देनदारियों के लिए कम प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 2.14 करोड से विविध देनदारों एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

बिहार राज्य वित्तीय निगम (2009-10)

 सरकारी कोषों पर ब्याज के दायित्व को आकिस्मिक दायित्व के रूप में दर्शाने एवं इस सम्बन्ध में प्रावधान नहीं किए जाने के फलस्वरूप, ₹ 14.65 करोड़ से ब्याज लागत का अन्तःप्रदर्शन एवं लाभ का अधिप्रदर्शन।

1.35 सांविधिक अंकेक्षकों (चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को सी०ए०जी० के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत, उनके द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली, आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करनी होती है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2009—10 में नौ कम्पनियों 21 तथा 2010—11 में 10 कम्पनियों 22 के सम्बन्ध में आन्तरिक लेखा परीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमें अनुशंसा की गयी	परिशिष्ट—2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	पुर्जे एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिक सीमा तय न करना	04	अ−3, अ−9, अ−11, अ−13.
2.	कम्पनी के प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था का अभाव	09	3H−3, 3H−8, 3H−9, 3H−11, 3H−12, 3H−13, 3H−15, 3H−18, 3H−19.
3.	अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसेः परिमाणात्मक विवरण, अवस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, ह्रासित मूल्य तथा उनकी स्थिति का संधारण न होना	05	अ─4, अ─8, अ─11, अ─13, अ─19.

_

विहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,

रकाडा एग्रो विजनेस कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड।

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूली

1.36 2010—11 के दौरान औचित्य लेखापरीक्षा में, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 4.22 करोड़ रुपये की वसूली के मामले इंगित किए गए थे, जिनमे से ₹ 1.41 करोड़ के मामले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्वीकार किये गये। वर्ष 2010—11 में ₹ 52.53 करोड़ की राशि, जो 2010—11 से पहले की अविध से संबंधित थे, की वसूली की गयी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.37 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखों पर भारत के सी०ए०जी० द्वारा निर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ०ल०प०प्र०) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को इंगित करती हैं।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ०ल०प०प्र०	वर्ष जहाँ तक पृ०ल०प०प्र० विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		
		विधायिका में रखी गयी	मृ०ल०प०प्र० का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	पृ०ल०प०प्र० को विधायिका के समक्ष रखने में विलम्ब के कारण
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2005-06	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10	26.05,2009 15.04.2010 29.04.2011 26.09.2011	
2.	बिहार राज्य भंडार निगम	2007-08	2008-09	28.02.2011	
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2008-09	2009-10	08.07.2011	
4.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 2002-03 (29) विक्षण 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03	9.6.1997 2.9.1998 2.9.1998 4.12.1998 18.4.2000 19.3.2004 19.10.2004 12.4.2005 07.10.2005 24.09.2007 26.10.2007 25.01.2010	प्रतिवेदन को विधायिका के समक्ष उपस्थापित नहीं करने का कारण, सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर वैधानिक नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगम की जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये त्वरित कार्यवाही करनी चाहिये। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने में विलम्ब के विषय को सी0ए0जी0 द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में भी दिसम्बर 2010 में लाया गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण में कोई सुधार नहीं आया। प्रधान महालेखाकार द्वारा इस विषय को प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, के ध्यान में (मई 2011) में लाया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.38 राज्य सरकार द्वारा सा०क्षे०उ० के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना के लिए 2010—11 में कोई कदम नहीं उढाया गया था। यद्यपि एक सा०क्षे०उ० (619—बी कम्पनी), शेयर धारिता प्रकृति में परिर्वतन के कारण, गैर सरकारी कम्पनी बन गई। झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा०क्षे०उ० की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 कम्पनियों / निगमों की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ—साथ प्रबंधन के बटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया। यद्यपि इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच कम्पनियों / निगमों 23 के संबंध में किया गया है (सितम्बर, 2011)।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.39 राज्य में बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीठई०आर०सी०) का गठन अप्रैल 2002 में विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17(1) के अधीन विद्युत टैरिफ का विवेकीकरण, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मसौदे पर अपनी राय देने और लाइसेन्स जारी करने के उद्देश्य से किया गया। 2010—11 की अवधि में, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अप्रैल से सितम्बर 2009 की अवधि के लिये ईंधन एवं ऊर्जा क्रय लागत समायोजन शुल्क (एफ०पी०पी०सी०ए०) की वसूली हेतु आदेश जारी किये। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अपनी कार्यवाहियों द्वारा निर्धारित, बगासे (खोई) आधारित सह—उत्पादन संयंत्र एवं बायोमास आधारित ऊर्जा परियोजनाओं के टैरिफ की भी समीक्षा की। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (सौर ऊर्जा साधनों के टैरिफ निर्धारण की नियम एवं शर्तें) नियमन, 2010 के अंतर्गत जेनेरिक लेवलाइज्ड उत्पादन टैरिफ के निर्धारण संबंधी भी आदेश जारी किये गये।

1.40 कार्य—क्षेत्र में चिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त प्रतिज्ञा के रूप में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्य सरकार के बीच एक समझ पत्र (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किये गये थे (सितम्बर 2001)। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब तक प्राप्त प्रगति का विवरण निम्नवत है:

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2011 तक उपलब्धि
1.	राज्य विद्युत विनियामक आयोग	दिसम्बर, 2001	राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना बिहार सरकार की विज्ञप्ति सं० 1284 दिनांक 15 अप्रैल 2002 द्वारा हुई है। आयोग द्वारा वर्ष 2011—12 के लिए अंतिम टैरिफ आदेश 01.06.2011 को संसूचित किया गया।

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 4 (वाणिज्यिक)

²³ बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भंडार निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड ।

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2011 तक उपलिध्य
2.	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2006 तक	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य केन्द्रीय एजेंसी एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा सम्पादित किया जा रहा है एवं इस उद्देश्य से कुल ₹ 3566.98 करोड़ अग्रिम के रूप में भुगतान किया जा चुका है। 39,015 गाँवों में से 27,945 (71.65 प्रतिशत) गाँव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं (मार्च 2011)।
3.	बोर्ड का पुर्नसंगठन	दिसम्बर, 2001	बोर्ड का पुर्नसंगठन पाँच कम्पनियों में करने हेतु बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
4.	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अदत्त बकायों की सुरक्षा	लागू नहीं	बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के ₹ 2075.61 करोड़ के अदत्त बकायों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली गई है।
5.	11 के०वी० के सभी वितरण फीडरों को 100 प्रतिशत मीटरीकृत करना एवं सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत	वितरण फीडरों के लिए दिसम्बर, 2001 एवं उपभोक्ता मीटर के लिए दिसम्बर, 2002	सभी 16 अंचलों में उपभोक्ताओं (59.10 प्रतिशत) एवं 11 के०वी० के वितरण फीडरों (70.20 प्रतिशत) में मीटर लगाने की प्रक्रिया हो चुकी है (सितम्बर 2011)।
6.	ऊर्जा लेखापरीक्षा	जून, 2002	मेसर्स पावर फाईनांस कॉरपोरेशन एक केन्द्रीय सा0क्षे0उ० नें पुर्नगिटत त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत मेसर्स प्रनत इंजिनियरिंग लिमिटेड को थर्ड पार्टी ऊर्जा लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया है। इससे संग्रहित अनुभवों को गैर ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्रों पर लागू किया जाएगा। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 64 शहरों एवं ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत सात शहरों में रिंग फेनसिंग मीटर, प्रणाली मीटर एवं उपभोक्ता मीटर की स्थापना कर रहा था (सितम्बर 2011)।
7.	पारेषण एवं वितरण (पा0 एवं वि0) क्षति को कम करके 15.5 प्रतिशत तक लाना	वर्णित नहीं	पारेषण एवं वितरण क्षति वर्ष 2009—10 में 38.32 प्रतिशत था जो वर्ष 2010—11 के दौरान बढकर 43.59 प्रतिशत हो गया।

क्रम सं0	महत्वपूर्ण कदम	लक्ष्य प्राप्ति की समयावधि	मार्च 2011 तक उपलब्धि
8.	स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत वापसी	मार्च, 2004	बोर्ड स्थायी संपत्तियों पर तीन प्रतिशत वापसी को वर्ष 2010—11 तक प्राप्त नहीं कर सका था।
9.	वितरण सूचना प्रबंधन प्रणाली	वर्णित नहीं	वितरण एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण प्रणाली (एस०सी०ए०डी०ए०), पटना द्वारा किया जा रहा है। शेष बिहार में यह पुर्नगठित त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्रगति पर था।(सितम्बर 2011)
10.	न्यूनतम कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति इकाई	वर्णित नहीं	राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2010—11 के लिए सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-I के लिए 130.00 पैसे / इकाई एवं सिंचाई एवं कृषि सेवाओं-II के लिए 205.00 पैसे / इकाई की टैरिफ स्वीकृत की है।